



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर  
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001



दूरभाष सं. 0294.2421255, 2420013, Helpline no. 0294.2426262 वेबसाइट- [www.udaipurmc.org](http://www.udaipurmc.org)  
क्रमांक:- राजस्व/2024-25/180

दिनांक:- 24.7.24

### निविदा सूचना

नगर निगम उदयपुर द्वारा हरियाली अमावस्या मेला 2024 में झूलें व मनोरंजन उपकरण सहेलियो की बाड़ी व फतेहसागर की पाल पर लगाने हेतु सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी, निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तों की सूचना वेबसाइट <https://sppp.Rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा की प्रारंभ तिथि 25.7.24 अन्तिम तिथि 31.7.24 तथा खुलने की तिथि 1.8.2024 है।

UBN No.- UNP2425A0040

राम प्रकाश (I.A.S.)  
आयुक्त  
नगर निगम, उदयपुर

#### प्रतिलिपि :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, परिसर शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका अथवा दैनिक भास्कर के उदयपुर संस्करण में तथा एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवायें तथा कार्यादेश की प्रति ई-मेल आई.डी. [revenuesec2015@gmail.com](mailto:revenuesec2015@gmail.com) पर प्रेषित करवायें।
2. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत को भेज कर लेख है कि निगम वेबसाइट पर उक्त निविदा अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर निगम उदयपुर।

आयुक्त  
नगर निगम, उदयपुर

RajKaj Ref  
9097828



Signature valid

Digitally signed by Ram Prakash  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.24 17:51:06 IST  
Reason: Approved



## निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम उदयपुर द्वारा हरियाली अभावस्था मेला 2024 में झूलें व मनोरंजन उपकरण सहलियो की बाड़ी व फतेहरागर की पाल पर लगाने हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं	झूलें व मनोरंजन उपकरण लगाने का कार्य	प्रारम्भिक बोली राशि(रु.)	निविदा प्रपत्र शुल्क (नोन रिफण्डेबल)	बोली प्रतिभूति राशि (निविदा राशि का 10 प्रतिशत)	कार्य की अवधि
1	सहलियो की बाड़ी व फतेहरागर की पाल पर (कुल 4 स्थानो पर)	1,00,100 /-	1000+180-1180/-	10,010 /-	04.08.2024 व 05.08.2024 (2 दिवस)

अतः उक्त स्थल पर झूलें व मनोरंजन उपकरण के ठेके लेने के इच्छुक संस्था/फर्म/एजेन्सी उक्त स्थल के लिये निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/- रुपये में नगर निगम कार्यालय अथवा <https://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। SPPP पोर्टल से डाउनलोड करने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 1180/- रुपये का डीडी आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा विक्रय दिनांक 25.7.24 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 31.7.24 को सायं 5:00 बजे तक रहेगा। बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. आयुक्त, नगर निगम उदयपुर के नाम संलग्न करना होगा।

निविदा दिनांक 1.8.24 को दोपहर 1:00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। प्राप्त निविदा दिनांक 1.8.24 को सायं 04:00 बजे उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तें व अन्य जानकारी निगम की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है, जो निविदादाता को मान्य होगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त  
नगर निगम, उदयपुर

RajKaj Ref  
9097828

Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.24 17:51:06 IST  
Reason: Approved



## अस्थायी झूले एवं मनोरंजन उपकरण लगाने के कार्य हेतु विशेष शर्तें :-

नगर निगम, उदयपुर द्वारा हरियाली अमावस्या मेला वर्ष 2024 दिनांक 04.08.2024 से 05.08.2024 तक आयोजित किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित शर्तों पर झूले एवं मनोरंजन उपकरण लगाने हेतु अस्थाई भूमि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी :-

1. बोली प्रतिभूति का रिफण्ड मेला सम्पन्न होने, सम्पूर्ण राशि जमा होने तथा निर्धारित तिथि पर भूमि खाली कर देने पर किया जाएगा।
2. निविदा का समय चक्र निम्नानुसार होगा -

(1) निविदा प्रारंभ दिनांक	:	25.7.24
(2) निविदा अन्तिम तिथि व समय	:	31.7.24
(3) निविदा मय D.D. जमा कराने की अंतिम तिथि (निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का डी.डी. आयुक्त, नगर निगम के नाम से बनाया जाना है)	:	1.8.24
(4) निविदा खोलने की दिनांक	:	1.8.24
(5) LOA जारी करने की दिनांक	:	2.8.24
(6) अनुबंध निष्पादन एवं कार्यादेश जारी करने की दिनांक	:	2.8.24
(7) कार्य प्रारंभ करने की दिनांक	:	4.8.24
(8) कार्य समाप्ति की दिनांक	:	5.8.24

निविदादाता को उद्धृत की गई दर पर 18 प्रतिशत दर से जीएसटी अतिरिक्त रूप से जमा कराना होगा जिसके लिए रसीद जारी की जायेगी। उदाहरणार्थ यदि निविदादाता द्वारा 100 रुपये की दर दी जाती है तो उसे  $100+18=118/-$  रुपये जमा कराने होंगे। अन्य समस्त करों की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा वो उसे अपने स्तर पर जमा कराएगा।

3. मेलों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना/घटना होने पर पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत निविदादाता का रहेगा। स्वीकृत निविदादाता को दुर्घटना बीमा स्वयं के स्तर पर करवाना होगा एवं बीमा पॉलिसी की प्रति प्रभारी अधिकारी को कार्यक्रम प्रारम्भ होने से 24 घण्टे पूर्व उपलब्ध करानी होगी।
4. नगर निगम द्वारा एक ही फर्म/व्यक्ति को झूले लगाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी। फर्म/व्यक्ति झूले व मनोरंजन उपकरण के अलावा अन्य किसी उद्देश्य हेतु किसी व्यक्ति को भूमि नहीं दे सकेगा।
5. सफल निविदादाता द्वारा आयोजन आरम्भ होने तक झूले नहीं लगाने पर दूसरे उच्चतम निविदादाता से नेगोशिएशन कर झूले लगवा दिये जायेंगे। जिस पर सफल निविदादाता कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। साथ ही ऐसे निविदादाता अधिकतम 3 वर्ष के लिये ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. झूले एवं मनोरंजन उपकरण लगाने हेतु स्वीकृत स्थल पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो इस हेतु सफल निविदादाता को नियमित रूप से साफ सफाई करवानी होगी।
7. सफल निविदादाता निर्धारित स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थल पर झूले व मनोरंजन उपकरण लगाकर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा ऐसा पाये जाने पर इस हेतु जारी कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।

RajKaj Ref  
9097828

Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.24 17:51:06 IST  
Reason: Approved

8. सफल निविदादाता को आयोजन अवधि समाप्ति दिनांक 05.08.2024 के पश्चात् झूले एवं मनोरंजन उपकरण संचालन का कोई अधिकार नहीं होगा तथा दिनांक 06.08.2024 को रात्रि 12:00 बजे तक समस्त उपकरण आयोजन स्थल से हटाने होंगे। निर्धारित दिनांक 06.08.2024 के पश्चात् स्थान खाली नहीं करने पर प्रत्येक दिवस हेतु निविदा की दैनिक आनुपातिक राशि वसूल की जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. झूले एवं मनोरंजन उपकरण निम्नलिखित स्थानों पर ही लगाये जायेंगे एवं निविदादाता स्वयं के स्तर पर उक्त स्थलों का निरीक्षण कर अपनी दर प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त स्थानों पर झूले एवं उपकरण हेतु निर्धारित भूमि के संबंध में जानकारी कार्यालय समय में राजस्व शाखा से प्राप्त की जा सकेगी।

नगर निगम मेला कार्यालय के पीछे	सहेलियों की बाड़ी मुख्य गेट के सामने
युआईटी पार्किंग के बाहर	फतहसागर की पाल पर पार्किंग के सामने

10. झूले लगाने हेतु स्थल पर अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करनी होगी तथा कचरा कचरा पात्र में ही डालना होगा गन्दगी फैलाने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जायेगी।
11. झूले एवं मनोरंजन उपकरण का सम्बन्धित विभाग के अभियंता से फिटनेस प्रमाण पत्र स्वयं के स्तर पर स्वीकृत निविदादाता को प्राप्त करना होगा।
12. यदि आयुक्त/महापौर नगर निगम द्वारा आयोजन अवधि कम या बढ़ायी जाती है, तो झूलो की राशि उसी अनुपात में अलग से जमा करवानी होगी।
13. झूले लगाने हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन स्वीकृत निविदादाता को स्वयं के स्तर पर लेना होगा तथा झूलों के संचालन के दौरान विद्युत करंट आदि से बचाव हेतु समस्त प्रकार की सुरक्षा स्वीकृत निविदादाता को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना/घटना की जिम्मेदारी स्वीकृत निविदादाता होगी।
14. सफल निविदादाता को उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ण पालना करनी होगी।
15. निविदा स्वीकृति होने पश्चात् निविदादाता को स्वयं के खर्च पर अनुबंध करना होगा।
- सफल निविदादाता/निविदादाता से तात्पर्य ऐसे निविदादाता से है जो अधिकतम दर प्रस्तुत करता है तथा जिसकी दर निगम द्वारा अनुमोदित की जाती है।
17. झूले लगाने सम्बंधित कार्य का कार्यादेश अधिकतम दर देने वाले निविदादाता को स्वीकृत किया जाएगा।
18. निविदा खोले जाने के पश्चात् अधिकतम दर देने वाले निविदादाता को दर अनुमोदन हेतु पत्र जारी किया जाएगा। इस दर अनुमोदन के पत्र के जारी होने के 3 दिवस के भीतर अनुबन्ध निष्पादन हेतु नियमानुसार स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी एवं उक्त राशि पूर्व में जमा EMD राशि से समायोजित की जा सकती है। निविदा की सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर कार्यादेश जारी किया जाएगा।
19. सफल निविदादाता की स्वेच्छा से समय से पूर्व कार्य छोड़ने पर कोई जमा राशि नहीं लौटाई जायेगी।
20. जिस सफल निविदादाता के नाम पर कार्य स्वीकृत होगा वो ही राशि वसूली करने हेतु अधिकृत होगा।
21. सफल निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

RajKaj Ref  
9097828

Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.24 17:51:06 IST  
Reason: Approved



22. इस निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं नेगोसियेशन करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त/महापौर नगर निगम का रहेगा।
23. सफल निविदादाता को नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, यातायात विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना करना अनिवार्य होगा।
24. सफल निविदादाता को दिशा निर्देशों की पालना हेतु नगर निगम के पक्ष में अनुबंध हेतु 500/-रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
25. केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित/आरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क/कर आदि लागू होने की अवस्था में सफल निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
26. झूला स्थल पर समस्त विद्युत खर्च का भुगतान एवं व्यवस्था सफल निविदादाता द्वारा की जावेगी।
27. निविदादाता को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे इनके अभाव में निविदादाता को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा-

- पेन कार्ड।
- आधार कार्ड।
- फर्म/संस्था/कम्पनी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- निविदा प्रपत्र शुल्क जमा होने की रसीद या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।
- धरोहर राशि की रसीद अथवा या आयुक्त नगर निगम के पक्ष में डी.डी.।

28. अधिक जानकारी वेबसाईट [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर या कार्य दिवस के दौरान राजस्व शाखा (कमरा नं.-71) नगर निगम, उदयपुर से प्राप्त की जा सकती है।
29. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :-(Period Of Validity Of Bid) 90 (नब्बे) दिन होगी। बोली लगाने वालों से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति वितपिमज नहीं की जा सकती। (नियम 48)
30. विलम्ब से प्राप्त बोलियां :- बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
31. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :- उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
32. करार का निष्पादन :-
  - (1) कोई उपापन संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसको स्वीकृति पत्र (LOA) या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
  - (2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

RajKaj Ref  
9097828

Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.24 17:51:06 IST  
Reason: Approved

- (3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
- (4) सफल बोली लगाने वाले को उसके खर्च पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।
- (5) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का सम्पूर्ण व्यय सफल निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा।
33. जुर्माना :-  
(क) वितीय बोलियों के सुनने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।  
(ख) सफल बोली लगाने वाला बोली घोषित होने पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेज के निबंधनों में अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में वैद्य आधारों के बिना असफल रहता है तो वह बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में अविलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो उपापन के निर्धारित मूल्य के 10 प्रतिशत जो भी कम हो तक का हो सकेगा तथा विवर्जित (क्वइंटतमक) किया जावेगा। फर्म को उस तारीख जिसको वह विवर्जित (क्वइंटतमक) किया गया उससे निगम की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने योग्य नहीं होगा।
34. जिन बिन्दुओं के संबंध में निविदा दस्तावेजों में कुछ अंकित नहीं किया गया है उस हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिशिष्ट) गू लागू होंगे।
35. सफल निविदादाता के किसी व्यवहार व कृत्य की जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं है एवं सफल निविदादाता द्वारा रखे गये किसी भी कर्मचारी के किसी व्यवहार व भुगतान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
36. निविदादाता स्वयं झूला लगाने हेतु स्थलों का निरीक्षण कर संतुष्ट हो जावें। निविदादाता के संबंध में यह माना जाएगा की उसने झूला लगाने हेतु स्थलों का निरीक्षण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लिया है अतः भविष्य में झूला लगाने हेतु स्थलों के संबंध में कोई शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी।
37. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र उदयपुर होगा।

आयुक्त  
नगर निगम उदयपुर

RajKaj Ref  
9097828

Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.24 17:51:06 IST  
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नाम – हरियाली अमावस्या मेला 2024 में झूले व गनोरंजन उपकरण के लिये ठेका
2. निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता— .....  
(कृपया आई.डी.प्रुफ संलग्न करें)— मो.नं.— .....
3. आधार नं. ....
4. निविदा दाता का पेन नं. (प्रति संलग्न करें) .....
5. फर्म/संस्था/ कम्पनी की स्थिति में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र .....
6. निविदादाता द्वारा दर जो दी जा रही है :-  
(दर अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करावें यदि अंको एवं शब्दों में अंकित दर में भिन्नता पायी गयी तो दोनों में से अधिकतम दर का निविदादाता द्वारा भरी गयी दर माना जावेगा)  
अंकों में.....  
शब्दों में.....

निविदादाता की घोषणा

मैं.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य है मैंने निविदा की समस्त शर्तों को भलीभांति पढ़ व समझ लिया है तथा मैं निर्धारित शर्तों की पालना करने व मेरे द्वारा अंकित की गई दर के अनुसार राशि जमा कराने पर सहमत हूँ।

हस्ताक्षर:-

नाम:-.....


पता:-.....

मो.नं:-.....

RajKaj Ref  
9097828

Signature valid

Digitally signed by Raju Prakash  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.24 11:51:06 IST  
Reason: Approved



छविवाणी-कमलवाणी रोड

8023

श्रीदेव  
प्रमाणिक कर्म

अज्ञातियां सोरिचरोड

